Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः वी.ब.सिंह.पू.वि.वि./सम्बद्धता/2024/1895
दिनांक : 24.06.24

सेवा में,

प्रबन्धक,
शबरी महाविद्यालय,
सिखड़ी, गाजीपुर।

विषयः— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **विज्ञान संकाय** में प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–04.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 10.04.2024 के अनुक्रम में **शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 23 अगस्त 2011 तथा 04 दिसम्बर 2013** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **3 अथवा 5 वर्ष की संविदा** के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु **प्राचार्य** पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त **अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें**। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1	डॉ0 अजय कुमार सिंह आधार नं0–623570855835	श्री अमरनाथ सिंह	20.10.1974	एम0 ए0 पी0एच0डी0	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्यनिधि **(कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड)** अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक–पूविवि/सम्व./03–30(तीन)/2011 635
दिनांक– 7/9/11

सेवा में,

प्रबन्धक,
शबरी बालिका महाविद्यालय,
सिखड़ी, गाजीपुर।

विषय– गृहविज्ञान प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–25.07.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई,2000** के आलोक में में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक'–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी, तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाया गया तो इनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
1. अंजना सिंह	श्री सागर सिंह	04.01.1983	एम.ए. , एम.फिल.	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

6.9.2011

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक–पूविवि / सम्ब. / 03–30(तीन) / 2009/11061
दिनांक– 27/2/12

सेवा में,

प्रबन्धक,
शबरी बालिका महाविद्यालय,
सिखड़ी, गाजीपुर।

विषय– मनोविज्ञान प्रवक्ता पद पर चयनित डा0 अनीता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–27.08.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक–09 मई,2000 के 13 दिसम्बर, 2006 एवं 12 अगस्त, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3/5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है, इनके अंक–पत्रों/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी, तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा किया गया अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक अर्हता	प्रवक्ता
1. डा0 अनीता	श्री दयाशंकर यादव	10.10.1976	एम.ए. पी–एच0डी0.	मनोविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय। तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल
विश्वविद्यालय
जौनपुर।

पत्रांक:पू0वि0वि0- / सम्ब. / 03-30(तीन) / 2010 / 2615
दिनांक 20.4.2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
शबरी बालिका महाविद्यालय,
सिखडी, गाजीपुर।

विषयः- शबरी बालिका महाविद्यालय, सिखडी, गाजीपुर में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर** पर **समाजशास्त्र** विषय में चयनित प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक- 06.03.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **श्री अरविन्द कुमार दुबे पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र द्विवेदी जन्म तिथि 06.12.1982** को शासनादेश दिनांक 09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर **प्रवक्ता समाजशास्त्र** पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, **प्रवक्ताओं के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय** तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय।

भवदीय,

20/4/2010

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–30(तीन)/2013/2488
दिनांक : 19.10.2013

सेवा में,

प्रबन्धक
शबरी बालिका महाविद्यालय,
सिखड़ी, गाजीपुर।

विषयः–स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के हिन्दी विषय में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ता के संविदा–विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–31.08.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक–18.09.2013 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक–11 जनवरी, 2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र संख्या–2589/सम्बद्धता/2002, दिनांक–10.07.2002 द्वारा अनुमोदित तथा प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराया गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं के संविदा–विस्तरण उनके नाम के सम्मुख तिथि से 5 वर्षो के लिए किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	प्रवक्ता	जन्म तिथि	सेवा विस्तरण
1	डा0 चन्दना राय	श्री व्यास मुनी राय	हिन्दी	15.07.1977	22.04.2013 से पाँच वर्ष

भवदीय,

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(तीन)/2017/ 11677
दिनांक : 17-2-17

सेवा में,

प्रबन्धक,
शवरी पी0जी0 कालेज,
शिखडी, गाजीपुर।

विषयः– स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय अन्तर्गत संस्कृत, राजनीति एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक– 20.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.01.2017 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री रामाश्रय राजभर	श्री मोहन राजभर	08.10.1985	एम0ए0, नेट	संस्कृत
2	डॉ0 निशान्त विमल	श्री रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव	19.10.1984	एम0ए0, पी0एच0डी0	राजनीतिशास्त्र
3	श्री प्रदीप कुमार	श्री गंगा प्रसाद यादव	25.01.1985	एम0ए0, नेट	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

सन्दर्भित प्रवक्ताओं का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण–पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण–पत्र सत्यापन के अधीन, ए0आइ0एस0एच0ई0 2016–17, वर्ष 2016–17 की परीक्षापूर्ण शुल्क की जमा एवं कक्षासंचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(तीन)/2019/7454
दिनांक : 7.9.19

सेवा में,

प्रबन्धक,
शबरी महाविद्यालय
सिखडी, गाजीपुर।

विषयः– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–27.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एव आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी द्वारा शासनादेश दिनांक–09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त **अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	डॉ0 प्रवीण कुमार द्विवदी आधार नं0–758453777818	श्री बुद्धसेन शर्मा	05.05.1982	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	वनस्पति विज्ञान
2	डॉ0 सूर्यकान्त आधार नं0–671106282868	श्री आसाराम	26.07.1981	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	वनस्पति विज्ञान
3	श्री अमित कुमार शर्मा आधार नं0–347776231005	श्री मेघराज शर्मा	15.02.1983	एम0एस0सी0, नेट	भौतिक विज्ञान
4	श्री जसवन्त सिंह आधार नं0–416342877704	श्री गिरिराज सिंह	02.07.1983	एम0एस0सी0, नेट	भौतिक विज्ञान
5	डॉ0 मनोज कुमार आधार नं0–786747080382	श्री लल्लू सिंह	06.04.1985	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	रसायन विज्ञान
6	श्री शशांक मिश्रा आधार नं0–651885937473	श्री सुरेन्द्र कुमार	30.11.1991	एम0एस0सी0, नेट	रसायन विज्ञान
7	डॉ0 साजिद अली आधार नं0–973082826180	श्री साबिर अली	15.02.1978	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	रसायन विज्ञान
8	डॉ0 पिंकी सूर्यवशी आधार नं0–450312092005	श्री ठाकुर प्रसाद सूर्यवंशी	03.05.1983	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	प्राणि विज्ञान
9	डॉ0 काशीराम करमकर आधार नं0–909923090885	श्री तुकाराम करमकर	15.08.1980	एम0एस0सी0, पी–एच0डी0	प्राणि विज्ञान
10	श्री रमजानी आधार नं0–861670466191	श्री फत्तन खॉ	07.01.1981	एम0एस0सी0, नेट	गणित
11	श्री विपिन कुमार आधार नं0–864485841369	श्री दिनेश कुमार	19.05.1979	एम0एस0सी0, नेट	गणित

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण–पत्र/पी0एच0डी0 प्रमाण–पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

07/09/19
कुलसचिव